दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

बुधवार, 29 नवम्बर, 2000/मार्गशीर्ष 08, 1922 (शक)

संख्या-44

1. 2.03 बजे **प्रश्न**

तारांकित प्र.सं. 121 से 128 तथा उनसे संबंधित पूरक प्रश्न पूछे गये और उनके मौखिक उत्तर दिये गये। तारांकित प्र.सं.129 से 140 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये।

अतारांकित प्र.सं.326 से 400 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये।

2. 3.00 बजे **विशेष उल्लेख**

निम्नलिखित सदस्यों ने नियम-287 के अंतर्गत मामले उठाये-

1. श्री पूरन चन्द योगी
2. श्री अरविन्दर सिंह लवली
3. श्री भीष्म शर्मा
4. श्री सुशील चौधरी (स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
5. श्री रमेश कुमार
6. श्री माला राम गंगवाल
7. श्री वीर सिंह
8. श्री राधेश्याम खन्ना
9. श्री महेन्द्र सिंह
10. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
11. श्री सुरेन्द्र कुमार
12. डॉ.जगदीश मुखी
13. श्री मोती लाल बोकोलिया

3. 3.32 बजे **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव**

श्री रमा कान्त गोस्वामी ने शहरी विकास मंत्री का ध्यान दिल्ली नगर निगम में भारी पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर आकर्षित किया।

शहरी विकास मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

**प्रस्ताव**

श्री मुकेश शर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए।

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण दिल्ली नगर निगम को तुरन्त प्रभाव से भंग कर दिया जाये।"

प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।

**(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।)**

5. 4.01 बजे जलपान अवकाश

6. 4.35 बजे सदन पुनः समवेत हुआ ।

7. 4.36 बजे प्रस्ताव

1. श्रीमती किरण वालिया ने प्रस्ताव किया कि यह सदन दिनांक 28.11.2000 को सदन में प्रस्तुत सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

2. श्री मोती लाल बोकोलिया ने प्रस्ताव किया कि यह सदन दिनांक 28 नवम्बर, 2000 को सदन में प्रस्तुत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

8. 4.38 बजे अध्यक्ष महोदय द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी करते हुए सामान्य रूप से सभी सदस्यों को और विशेषकर विरोधी दल के सदस्यों को सलाह दी कि सदन में मर्यादा बनाये रखे और अध्यक्ष पर आक्षेप न लगायें ।

9. 4.45 बजे नियम-107 के अंतर्गत प्रस्ताव

श्री मुकेश शर्मा ने नियम-107 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

"कि दिल्ली सरकार अपने द्वारा चलाये जा रहे सभी शैक्षणिक संस्थानों में और किसी भी उद्देश्य के लिये बनाई गई समितियों में अन्य पिछड़े वर्गों को तुरन्त आरक्षण प्रदान करें ।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री शोएब इकबाल
श्री नन्द किशोर गर्ग
श्री शादी राम
श्री अमरीश सिंह गौतम
श्री नरेश गौड़
श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
श्री मतीन अहमद
श्री वीर सिंह
श्री शीश पाल
श्री कंवल सिंह
श्री महेन्द्र सिंह
श्री नसीब सिंह
श्री जिले सिंह चौहान

शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया :-

श्री अरविन्दर सिंह लवली ने निम्न संशोधन पेश किया :-

(संशोधन अंग्रेजी में)

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री भीष्म शर्मा ने निम्नलिखित संशोधन पेश किया :-

(संशोधन अंग्रेजी में)

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

निम्नलिखित संशोधित प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया :-

"कि सरकार अपने द्वारा चलाये जा रहे शैक्षणिक संस्थानों में, किसी भी उद्देश्य के लिये गठित समितियों में, स्वरोजगार योजनाओं जैसे उचित दर दुकानों और मिट्टी के तेल के डिपो में तथा बोर्डों और सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों को तुरन्त प्रभाव से आरक्षण प्रदान करें ।"

10· 5·39 बजे **विधेयक का पुरःस्थापन**

श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्य मंत्री ने दिल्ली अग्निशमन सेवा विधेयक, 2000 को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगने हेतु प्रस्ताव किया और अनुमति मिलने पर विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया ।

11· 5·40 बजे **विधेयक पर विचार एवं पारित करना**

(1) डॉ·नरेन्द्र नाथ, उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली उद्योग (सूचीबद्ध एवं नियोजन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया । उद्योग मंत्री ने विधेयक के प्रावधानों के बारे में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1· डॉ· जगदीश मुखी
2· श्री नन्द किशोर गर्ग

**विधेयक पर खण्डवार विचार**

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-2(सी) में अनपना निम्न संशोधन प्रस्तुत किया-

(संशोधन अंग्रेजी में देखें)

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-2(एच) में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

खण्ड-2, खण्ड-3 एवं खण्ड-4 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-5§3§ में परन्तुक जोड़ने के संबंध में अपना निम्न संशोधन प्रस्तुत किया :-

**§मूल संशोधन अंग्रेजी में§**

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-5 एवं खण्ड-6 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-7 में निम्न संशोधन पेश किया :-

**§मूल संशोधन अंग्रेजी में§**

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-7 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-8 में नया उप-खण्ड जोडने संबंधी अपना संशोधन प्रस्तुत किया :-

**§मूल संशोधन अंग्रेजी में§**

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-8 से खण्ड-15 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने सदन की अनुमति से खण्ड-16 में दिया गया अपना संशोधन वापस ले लिया ।

खण्ड-16 से खण्ड-20 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

डॉ॰नरेन्द्र नाथ,उद्योग मंत्री ने विधेयक में एक संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी । अध्यक्ष महोदय ने डॉ॰जगदीश मुखी के विरोध को अस्वीकार करते हुए डॉ॰नरेन्द्र नाथ को खण्ड-20 के बाद नया खण्ड जोड़ने संबंधी संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की :-

**§मूल संशोधन अंग्रेजी में§**

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-1 में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

खण्ड-1,प्रस्तावना और शीर्षक को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये ।

विधेयक को मतदान के लिये रखा गया और सर्वसम्मति से पारित हुआ।

12· 6·01 बजे

§2§ डॉ·ए·के·वालिया, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया गया प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित दिल्ली प्लास्टिक बैग§विनिर्माण, बिक्री एवं प्रयोग§ तथा गैर जैव अवक्रमित कूड़ा कर्कट§नियंत्रण§ विधेयक, 2000 पर विचार किया जाये । सदन की अनुमति मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने विधेप्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित विधेयक के प्रावधानों के संबंध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया । निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1· श्री मुकेश शर्मा
2· श्री राज कुमार चौहान
3· श्री राम सिंह नेताजी

**विधेयक पर खण्डवार विचार**

श्री मुकेश शर्मा ने सदन की अनुमति से खण्ड-2§1§§ए§ में दिया गया अपना संशोधन वापस ले लिया ।

खण्ड-2 से खण्ड-7 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वी़कार किया गया ।

श्री राज कुमार च9ौहान ने खण्ड-8§1§§ए§ में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया और खण्ड-8§1§§बी§ में अपना निम्न संशोधन पेश किया :-

"शब्द 30 माइक्रोन्स को 20 माइक्रोन्स" पढ़ा जाये-

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-8 से खण्ड-21 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये ।

विधेयक को मतदान के लिये रखा गया और सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

13· 6·25 बजे सदन अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हुआ ।

**§राष्ट्रीय गान - "जन-गण-मन"§**

**दिल्ली,**
**29 नवम्बर, 2000**

**एस·के·शर्मा**
**सचिव**

# DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

## BULLETIN PART -I
## (BRIEF RECORD OF PROCEEDINGS)

Wednesday, November 29, 2000/ Margashirsha 08, 1922(Saka)

No. 44.

2.03 PM **Questions**

Starred Questions 121 to 128 were asked and orally replied. Replies to Starred Question 129 to 140 and Unstarred Questions 326 to 400 were laid on the Table of the House.

3.00 PM **SPECIAL MENTIONS**

The following members raised matters under Rule 287:-

1. Shri Puran Chand Yogi
2. Shri Arwinder Singh Lovely
3. Shri Bhisham Sharma
4. Shri Sushil Chaodhary (Minister of Health intervened)
5. Shri Ramesh Kumar
6. Shri Malaram Gangwal
7. Shri Veer Singh
8. Shri Radhey Shyam Khanna
9. Shri Mahender Singh
10. Shri Tarwinder Singh Marwah
11. Shri Surender Kumar
12. Dr. Jagdish Mukhi
13. Shri Motilal Bokolia

3.32 PM **CALLING ATTENTION MOTION**

Shri Ramakant Goswami called the attention of the Minister of Urban Development to the situation arising out of rampant corruption prevailing in the Muncipal Corporation of Delhi.

Minister of Urban Development made a statement.

**MOTION**

Shri Mukesh Sharma moved the following **Motion :-**

"This House recommends to the Central Govt. that the Muncipal Corporation of Delhi be dissolved forthwith due to prevailing rampant Corruption therein".

**The Motion was put to vote and adopted.**
**(The Members of the BJP staged a walk out in protest)**

4.01 PM **TEA BREAK**

4.35 PM **HOUSE RE-ASSEMBLED.**

4.36 PM **MOTION**

1. Smt. Kiran Walia moved that the House agrees to the First Report of the Committee on Govt. Undertakings presented to the House on 28th November, 2000 which was put to vote and unanimously adopted.

2. Shri Motilal Bokolia moved that the House agrees

...2/-

to the Fifth Report of the Committee on Welfare of SC, ST and OBCs presented to the House on 28th November 2000 which was put to vote and unanimously adopted.

8. 4.38 PM **OBSERVATION BY SPEAKER**

Hon'ble Speaker through his observation advised the members in general and the members of the opposition in particular to maintain discipline and decorum in the House and referain from casting aspertions on the Chair.

9. 4.45 PM **MOTION UNDER RULE 107**

Shri Mukesh Sharma moved the following motion under Rule 107 :-

" That the Govt. of Delhi should immediately grant reservation to other backward classes (OBCs) in all educational institutions run by it and in the Committees constituted for any purpose".

The following members participated in the discussion:

1. Shri Shoib Iqbal
2. Shri Nand Kishore Garg
3. Shri Shadi Ram
4. Shri Amrish Singh Gautam
5. Shri Naresh Gaur
6. Shri Tarwinder Singh Marwah
7. Shri Mateen Ahmed
8. Shri Veer Singh
9. Shri Shish Pal
10. Shri Kanwal Singh
11. Shri Mahender Singh
12. Shri Naseeb Singh
13. Shri Jile Singh Chauhan

Minister of Education replied to the debate.

Shri Arvinder Singh Lovely moved the following amendment:-

"That reservation to OBCs shall also be applicable in the self employment schemes operated by the Govt. of Delhi such as Ration Shopes, K'Oil Depots etc".

The amendment was put vote and adopted.

Shri Bhisham Sharma moved the following amendment:-

"That the Govt. shall exte reservation to the OBCs in the Boards and Autonomous Bodies constituted by the Govt. of Delhi."

The following amended motion was put to vote and adopted :-

"That the Govt. should immediately grant reservation to the other Backward Classes (OBCs) in all educational institutions run by it, in the committee constituted for any purpose,

...3/-

in self employment schemes such as Ration Shops and K'Oil Depots and in Boards and autonomous bodies".

LEGISLATIVE PROPOSALS

10. 5.39 PM INTRODUCTION OF BILL

Smt. Shiela Dikshit, Chief Minister moved for leave to introduce 'The Delhi Fire Service Bill, 2000 and after the leave was granted also introduced the Bill.

11. 5.40 PM CONSIDERATION AND PASSING OF BILLS

1. Dr. Narendra Nath, Minister of Industries moved that 'The Delhi Industries (Enlistment & Planning) Bill, 2000' be taken into consideration and after grant of leave made a brief statement explaining the provisions of the Bill.

The following members participated in the discussion :-

Dr. Jagdish Mukhi
Shri Nand Kishore Garg

CLAUSE BY CLAUSE CONSIDERATION

Shri Mukesh Sharma moved the following amendment in clause 2(c) :-

> 'Competent authority' means Commissioner of Industries or any other officer not below the rank of Joint Director of Industries authorised by him time to time in this regard!

The amendment was put to vote and adopted by voice.
Shri Mukesh Sharma withdrew his amendment in Sec 2(h) with the leave of the House.

Clause 2,3 and 4 were put to vote and adopted by voice vote.

Shri Mukesh Sharma moved the following amendment regarding addition of a new provise to Clause 5(3):-

> 'Provided further that the competent authority shall pass apropriate orders within 30 days of the receipt of reply to the show-cause notice, and where no such reply is received within 30 days of the time stipulated in the show cause notice for giving the reply".

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

Clause 5 and 6 put to vote and adopted by voice vote.

Shri Mukesh Sharma moved the following amendment in clause 7 :-

...41-

'The word 'thirty' be substituted in place of word 'Sixty' appearing in fifth line of section 7 of the Bill'.

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

Clause 7 was put to vote and adopted by voice vote.

Shri Mukesh Sharma moved the floowing amendment as a new sub-section to Clause 8 :

'If the competent authority is satisfied that any person has obtained the enlistment certificate by willful supression or misrepresentation of facts or in a fraudulent manner, the competent authority may, in addition to the revecation of Enlishtment Certificate, initiate proper criminal proceedings against such person".

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

Clause 8 to Clause 15 put to vote and adopted with voice vote.

Shri Mukesh Sharma withdrew his amendment in Sec. 16 with the leave of the House.

Clause 16 to 20 were put to vote and adopted by voice vote.

Dr. Narendra Nath, Minister of Industries moved for leave to introduce a Govt. Amendment to the Bill. The objection of Dr. Jagdish Mukhi was ruled out by the Chair and Dr. Narendra Nath to moved the amendment for inception of a new section after Sec. 20 :-

(1) If the Govt. is of opinion, having regard to the smallness of the number of workers employed or to the amount invested in any industrial undertaking or to the desirability of encourgaging small undertakings generally that it would not be in public interest to apply all or any of the provisions of this Act thereto, it may, by notification in official gazette, exempt, subject to such conditions as it may think fit to impose, any industrial undertaking or class of industrial undertakings as it may specify in the notification from the operation of all or any of the provisions of this Act or any rule or order made thereunder.

(2) Where any notification under Sub-section (1) granting any exemption is cancelled no owner of any industrial undertaking shall carry on the business of the undertaking after the expiry of such period as may be specified in the notification cancelling the exemption".

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

...5/-

Shri Mukesh Sharma withdrew his amendment given in Clause 1 with the leave of the House.

Clause 1 short Title & Preamble was put to vote and adopted by voice vote.

The Minister of Industries moved that the Bill be passed.

The Bill was put to vote and passed unanimously.

12. 6.01 PM 2. Dr. A. K. Walia, Minister of Health and Environment moved that 'The Delhi Plastic Bags (Manufacture, Sale & Usage) and Non-biodegradable Garbage (Central), Bill, 2000' as reported by the Select Committee be taken into consideration. After the leave was granted he make a brief statement about the provisions of the Bill as reported by Select Committee. The following members particiapated in the discussion:-

Shri Mukesh Sharma
Shri Raj Kumar Chauhan
Shri Ram Singh Netaji

CLAUSE BY CLAUSE CONSIDERATION

Shri Mukesh Sharma withdrew his amendment in Clause 2(1) (a) with leave of the House.

Clause 2 to Clause 7 put to vote and adopted by voice vote.

Shri Raj Kumar Chauhan withdrew his amendment in clause 8(1)(a) and moved the following amendment in clause 8(1)(b) :-

"words 30 microns be read as 20 microns".

The amendment was put to vote and adopted by voice vote.

Clause 8 to Clause 21 were put to vote and adopted by voice vote.

Clause 1, Short Title and Preamble put to vote and adopted by voice vote.

Minister of Health moved that the Bill be passed.

The Bill was put to vote and adopted unanimously.

13. 6.25 PM House adjourned sine-die.

(National Anthem).

S.K. SHARMA
Secretary

Delhi
29th November, 2000

900